[illegible] विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा आसन नदी लॉट
[illegible] 14/10 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई
दिनांक 02.07.2014 (अपरान्ह 2.00 बजे) स्थान राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय,
धर्मावाला, राहसपुर, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा आसन नदी लॉट नं–14/10 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 02.07.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, धर्मावाला, सहसपुर, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 2.00 बजे अपरान्ह लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभि0) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा आसन नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 31.05.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के क्रम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति [illegible]णी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई [illegible]झाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय [illegible]र को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया [illegible] सुझावं परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से अ[illegible] अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्य[illegible]

[illegible]

[illegible] के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तत्पश्चात लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री सुभाष कुमार पाण्डेय द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 62.0 है0 है। जो कि ग्राम धर्मावाला, प्रतीतपुर, फतेहपुर, विकासखण्ड–विकासनगर जनपद देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का [illegible]संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा [illegible]ंग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं [illegible]या जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री सुभाष [illegible]ार पाण्डेय द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से [illegible] वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है [illegible]में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर व[illegible]त्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेग[illegible]णीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन कि[illegible] पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गय[illegible] उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में [illegible]

परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव एवं
निम्नानुसार है–

1. असारी (प्रधान धर्मावाला) से पूछा गया कि सरकारी खनन क्षेत्र के बीच में
भूमि आने पर मार्ग (रास्ता) का प्राविधान क्या होगा? साथ ही नदी के कटाव को
रोकने के उपाय क्या होंगे एवं गांव के विकास में खनन कार्य से जुडी संस्था का क्या
योगदान होगा?

2. **श्री नरेन्द्र सैनी (ग्राम प्रधान प्रतीतपुर)** द्वारा पूछा गया कि खनन क्षेत्र में किस ग्राम का कितना एरिया सम्मिलित है एवं पुल से कितनी दूरी पर खनन कार्य किया जायेगा।

3. **अकबर हसन, निवासी धर्मावाला** द्वारा पूछा गया कि खनन की रायल्टी का निर्धारण किसके द्वारा किया जायेगा।

4. **मोहम्मद फरजन, निवासी धर्मावाला** द्वारा पूछा गया कि बरसात में भूमि कटाव को रोकने हेतु क्या प्राविधान होंगे।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोशियल रिस्पॉस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा एवं भूमि कटान को रोकने हेतु वृक्षारोपण किया जायेगा। राज्य खनिज नीति के अनुसार रायल्टी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार, स्थानीय पट्टो को स्थानीय बेरोजगार युवकों को अग्रतर लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव भी है तथा कुछ खनन पट्टो पर गढ़वाल मण्डल विकास निगम स्वयं खनन कार्य करेगा। गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा खनन कार्य शुरू करने से अवैध खनन पर भी रोक लगेगी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पॉस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि

होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो
2. डी0वीडी0
3. उपस्थिति पंजिका

2/7/14

(सुनील डबराल)	(सुभाष पंवार)	(डा0 वी0के0 जोशी)	(प्रताप सिंह शाह)
अनु0 सहा0	अ0 अभियन्ता	क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून

के प्लाट क्र० 14/10 में स्थित श्री रा० कु० मा० विद्यालय धर्मावाला (देहरादून) में दिनांक 24/07/2019 (2 pm) को आयोजित ग्राम पंचायत की समिति बैठक।

नाम व पद	पता	सम्पर्क क्र	हस्ताक्षर
1. श्री प्रताप शाह (ग्राम प्र०)	जिला प्रशासन देहरादून		
2. श्री वी० के० जोशी (खं० अधि०)	प्रतिनिधि बी०डी०ओ० देहरादून		
3. श्री सुभाष पंवार (ग्राम प्रधान)	प्रतिनिधि बी०डी०ओ० देहरादून	9410393545	
4. श्री कुलदीप सिंह (अनुसूचित)	प्रतिनिधि बी०डी०ओ० देहरादून	9627183224	
श्री शफीक धर्मावाला	प्रतिनिधि बी०डी०ओ० देहरादून		शफीक
श्री मो० ताहिर धर्मावाला	प्रतिनिधि बी०डी०ओ० देहरादून		M. Tahir
श्री अस्ताफ धर्मावाला	प्रतिनिधि बी०डी०ओ० देहरादून		
श्री फैजान "	"	—	
श्री अनवर धर्मावाला	"	—	
श्री सतीश प्रतीतपुर	"		
निरंजन शर्मा	G.M.V.N.	9897735856	
हरपाल	प्रतीतपुर	"	
यशपाल	प्रतीतपुर	"	
श्याम लाल	प्रतीतपुर		
[illegible]	राजस्व निरीक्षक	9873724371	
[illegible]	राजस्व उपनिरीक्षक	8191099421	
[illegible]	धर्मावाला	—	
[illegible]	प्रतीतपुर		
[illegible]	धर्मावाला		

नाम	पता	सम्पर्क क्र	हस्ताक्षर
मनजीत कुमार	धर्मावाला	—	मनजीत कुमार
B. S. Rawat	G.M.V.N. 42	8795105509	
[illegible]	धर्मावाला		
[illegible]	धर्मावाला	"	
मुस्तकीम अली	धर्मावाला	"	
वाजिद	धर्मावाला	—	वाजिद
इनाम	धर्मावाला	—	इनाम
गुलजार	"	"	गुलजार
अरीब	"	"	अरीब
मशरूम	"	9627218243	मशरूम
कश्मीरी लाल	प्रतीतपुर	9720174470	कश्मीरी लाल
बिरम पाल सैनी	प्रतीतपुर	9719904948	
सुरेन्द्र सिंह सैनी	प्रधान प्रतीतपुर	9319918483	
दिलशाद	धर्मावाला	"	दिलशाद
मस्ताना आसारी	धर्मावाला	8979971398	मस्ताना
मसूर	धर्मावाला	"	
सुनील	"		
अब्दुल रहमान	"	7895149114	
Abhishek Saini	Pratetpur	8923088830	
जगदीप सिंह	Rangbar	9719220224	
R.S. Danu Section Officer	G.M.V.N	9412403291	
[illegible]	प्रतीतपुर	9627137307	
बी० एम० चौधरी	एडी० जी० एम० जी० आर० सी० नोयडा	09582054007	